रानोबाई / हुकम सिंह

22-5-18

आज पंचायती लोक अदालत में ग्राम पं. बु० पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा हेतु समझाया गया बाद समझाई। राजीनामा पेश किया। द्वारा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पंचायती पीठ अनुसार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

पंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत 201

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत 201

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
26	13.2.17	22.5.18

उनवान

1. रानी पुत्री दलबीरासिहं
2. चरणसिह पुत्र दलबीरासिंह जाति रायसिख निवासी बसईकला तहसील किशनगढबास :– वादीगण

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां
2. कक्कासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां
3. तहसीलदार किशनगढबास :–असल प्रंतिवादीगण:–

4. छिन्दरपाल
5. बिन्टू
6. सोनू ना0बा0पुत्रान दलबीरासिंह
7. पुनी नाबा0 पुत्री दलबीरासिहं रायसिख निवासी बसईकलां तहसील किशनगढबास :– तरप्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188आर.टी.एक्ट.

पर्चा डिक्री

उक्त आराजी में जो विधुत कनैक्शन लिया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग रानोबाई व कक्कासिंह करने को स्वतंत्र होगें व कनेक्शन का बिल रानो बाई व कक्कासिहं अदा करेगे। आवासीय मकान संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहेगा।हुकमसिंह अपनी खातेदारी व गैरखातेदारी को बिना दोनो पक्षकारो की सहमति के बेचान नही कर सकेगा। इस आशय से पाबन्द किया गया गैरखातेदारी आराजी की सरकारी कीमत जमा कराकर हकुक सनद पटटा दोनों पक्षकार ले सकेगें। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

NEHA | EKTA SHARMA | HIMANSHU | YATISH | JAY MALA SAINI

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पं. मु. मीरका

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर. ए. एस.

बैंच सदस्य :- श्री कमलेश शर्मा सेवा निवृत तहसीलदार

दावा संख्या
26

प्रवेश तिथि
13-2-17
उनवान

निर्णय तिथि
22-5-17

1- रानी पुत्री दलबीरासिंह
2- चरणसिंह पुत्र दलबीरासिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:- वादीगण

बनाम

1- हुकमसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां
2- कक्कासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां
3- तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-असल प्रतिवादीगण

4- छिन्दरपाल
5- बिन्दू
6- सोनू ना. बा. पुत्रान दलबीरासिंह
7- पुनी नाबा. पुत्री दलबीरासिंह रायसिख निवासी बसईकलां तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:- तर०प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली लोकह अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-

वादीगण ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. 342/0.03, 386/0.18, 402/0.08, 416/0.43, 268/0.28, 269/0.10, 288/0.37, 389/0.24, 439/0.14, 440/0.16 441/0.18, 442/0.08, 447/0.19, 448/0.16, 449/0.15, 64/0.34, 67/0.51, 68/0.62, 84/0.23, 92/1.32, 396/0.33, 404/0.32, 430/0.22, 494/0.06, 495/0.05, वाके ग्राम बसईकलां हम वादीगण व तर. प्रति. के दादा श्री हुकमसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति रायसिख निवासी बसईकलां की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो हमारी दादालाई की है।

विवादित आराजी पक्षकारान की हिन्दु मुश्तर्का खान्दान की पैतृक है जिसमें हम वादीगण का हक हिस्सा बाई बर्थ निहित है। पारिवारिक सजरा वाद में अंकित किया जा रहा है। हम वादीगण व तर. प्रति. के पिता दलबीरासिंह

--2--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

पी. म

की मृत्यु हो गई है उनकी मृत्यु के बाद उनका 1/3 हिस्सा हम वादीगण व तर. प्रति. काबिज काश्त हैं। जिस पर हम वादीगण व तर. प्रति. प्रतिवादीगणं के साथ शामलात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का सगा दादा है तथा प्रति. सं. 2, 3 जो वादी के सगे चाचा व बुआ पिता व भाई लगते हैं। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने प्रतिवादी सं. को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर अमादा है जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के बेचान करने पर अमादा है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

{अ} डिक्री इज्राय इश्तकरारहक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे आराजी उक्त वाके ग्राम बसईकलां का वादीगण को हुकमसिंह के हिस्से में से 1/3 भाग का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

{ब} डिक्री इन्द्राज दुरुस्ती बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगणं पारित की जावे कि आराजी उक्त के राजस्व रिकार्ड में जो अंकन तन्हा प्रतिवादी सं. 1 के नाम का चला आ रहा है वो सरीहन गलत है हकूक वादीगण के विरुद्ध बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगणं को 1/3 भाग का काबिज काश्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

{स} जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आ. हाल ख. नम्बरान वाके बसईकलां को किसी दीगर को रहन बय नहीं करें मौका व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

{द} खर्चा मुकदमा का वादी को असल प्रतिवादीगणं से दिलाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असल ने वादगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जबाबदावा पेश किया। आज लोक अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पक्षकारान को बुलवाया गया तथा उन्हें समझाया गया। बाद समझाईश पक्षकारान ने आपस में राजीनामा 500/=रू. के स्टाम्प पर लिखवाया जाकर पेश किया जिस राजीनामा को बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया जिसे सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया। पक्षकारान की पहिचान हाल सरपंच ग्राम पंचायत व पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मींरका से एवं उपस्थित ग्रामीणों से कराई जाकर राजीनामा पर उनके हस्ताक्षर व अ0नि0 कराई गई। पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

--3--

Scanned by CamScanner

लोक अदालत की भावना से वादीगण का वाद बाबत राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बाबत राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आ. ख. नं. 439, 440, 441, 442, 448 किता 5 रकबा 0.72 का 1/4 भाग एवं ख. नं. 342, 386, 402, 416 किता 4 रकबा 0.72 का 1/9 भाग वाके ग्राम बराईकलां हुकमसिंह पुत्र बहादरसिंह स्वयं के पास रहेगा जो वर्तमान में खातेदार दर्ज है। आ. ख. नं. 268, 269, 288, 389 किता 4 रकबा 0.99 का 1/12 भाग व ख. नं. 447, 449 किता 2 रकबा 0.34 का 1/4 भाग जो कि खातेदारी की भूमि है व ख. नं. 64, 67, 68, 84, 92, 396, 404, 430, 494, 495 किता 10 रकबा 4.00 जो कि गैर खातेदारी की आराजी है, जो रानोबाई वगैरा वादीगण व तर. प्रति. तथा कक्कासिंह पुत्र हुकमसिंह रायसिख निवासी बराई कलां के मध्य बराबर बराबर भाग में बांटी बाबत जावेगी।

राजीनामें के मध्य तय किया गया कि कक्कासिंह पुत्र बहादरसिंह, रानो बाई वगैरा पुत्री दलबीरसिंह को 127000/=रूपये अंकेन एकलाख सत्ताईस हजार रूपये नकद अदा करेगा। तदोपरान्त रानोबाई वगैरा हुकमसिंह की आराजी में से जो आधी प्राप्त की है में से 14 बिस्वा का बयनामा कक्कासिंह के पक्ष में पंजीयन कराने का पाबन्द रहेगी। बयनामा का खर्चा आधा आधा रानोबाई व कक्कासिंह वहन करेंगें।

उक्त आराजी में जो विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है उसका उपयोग व उपभोग रानोबाई व कक्कासिंह करने को स्वतन्त्र होगें व कनेक्शन का बिल रानो बाई व कक्कासिंह अदा करेंगें। आवासीय मकान संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। हुकमसिंह अपनी खातेदारी व गैरखातेदारी को बिना दोनों पक्षकारो की सहमति के बेचान नहीं कर सकेगा। इस आशय से पाबन्द किया गया। गैरखातेदारी आराजी की सरकारी कीमत जमा कराकर हकूक सनद पट्टा दोनों पक्षकार ले सकेंगें। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

बैंच सदस्य

पीठासीनअधिकारी
राजस्व लोक अदालत 2018

Scanned by CamScanner